मान्नीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म० प्र०)

निगरानी क्रमांक- R - 2044-III/14 सन्

1- श्री काशीप्रसाद साहू

2- विनोद कुमार साहू

3- प्रमोद कुमार साहू पुत्रगण बाबूलाल साहू

निवासीगण छत्रसाल चौराहा छतरपुर म०प्र० -- निगरानीकर्तागण

बनाम

1. राज्य शासन मध्य प्रदेश -- उत्तरवादी

2. बाबूलाल साहू तनय गोपालदास साहू

निवासी पुराने रोजगार कार्यालय के पास छतरपुर -- आपत्तिकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 भू.रा.संहिता 1959

विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 194/नि.वि./121/11-12 में पारित आदेश दिनांक 5/6/2014 से दुखित होकर,

---

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1/ निगरानी के तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता का पुस्तैनी मकान छतरपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 29 जिसका नया मकान नं. 11 (पुराना) स्थित है जो निगरानीकर्तागणो के स्वामित्व का है उक्त मकान के सामने पुस्तैनी चबूतरा जो खसरा नम्बर 3028 का भाग था जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा निर्माण कार्य किये जाने पर राज्य शासन द्वारा प्रकरण क्रमांक- 37/अ-68/2000-01 तहसीलदार नजूल द्वारा दर्ज किया गया जिसका निराकरण 19/7/04 को किया जाकर विवाद प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया गया इसके पूर्व भी शासन द्वारा प्रकरण क्र. 394-अ-68/80-81 तहसीलदार द्वारा पंजीबद्ध करके आवेदक के विरूद्ध 24/5/83 को निर्णीत किया गया

न्यायालय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–छतरपुर

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2044–तीन / 2014

श्री काशीप्रसाद साहू आदि विरूद्ध राज्य शासन मध्यप्रदेश व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 194 / निगरानी / बी–121 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	